UGC Approved Journal No - 47299
Volume 13 Issue I March 2023 ISSN 2249-8907

Vaichariki

A Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed International Research Journal

10

Chief Editor:
Dr. Manoj Kumar

(10) 3.02.2023

UGC Approved Journal No – 47299
(IIJIF) Impact Factor - 5.192

ISSN 2249 – 8907

VAICHARIKI

A Multidisciplinary *Peer Reviewed* Refereed International Research Journal

Volume 13 **Issue I** **March 2023**

Chief Editor : Dr. Manoj Kumar
Department of Sanskrit
B.R.A. Bihar University
Muzaffarpur

E-mail : vaichariki@gmail.com

www.vaicharikibihar.com

- **लोक का वैश्विक परिदृश्य और विद्यानिवास मिश्र** 72-75
  उदय प्रताप पाल, शोध छात्र, भोजपूरी अध्ययन केन्द्र संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221005 उत्तर प्रदेश, भारत।
- **गीता में प्रतिपादित सामाजिक मूल्य** 76-77
  डॉ. मोहम्मद शफीक, सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, पूर्णियाँ कालेज, पूर्णियाँ
- **सङ्क्षेपेण क्रियास्वरूपविचारः** 78-80
  शशांक त्रिपाठी, शोधच्छात्रः, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी
- **बौद्ध दशन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण** 81-89
  डॉ. अनुराधा पाठक, विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य, महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय, बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार
- **विधवा-आश्रम की बुजुर्ग विधवा महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर भ्रामरी प्राणायाम अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन** 90-96
  दिलीप कुमार सोनकर, पी-एच.डी., शोधार्थी, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
  प्रो. आर. पी. सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- **नई शिक्षा नीति का स्वरूप विश्लेषण** 97-100
  डॉ. आशाराम वर्मा, असिस्टेण्ट प्रोफेसर : शिक्षा संकाय, डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज गोरखपुर (उ.प्र.)
- **भारतीय संस्कृति पर आधुनिकीकरण का प्रभाव** 101-103
  डॉ. ग्रीष्मा सिंह, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजिम, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ)
- **भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका** 104-106
  आशीष कुमार ठाकुर, शोध छात्र, इतिहास विभाग, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
- **1857 की क्रान्ति एवं भारतीय राष्ट्रीय चेतना की समीक्षा** 107-110
  नीरज कुमार, शोध छात्र, इतिहास विभाग, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
- **किसान आन्दोलन : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, झारखण्ड के संदर्भ में** 111-113
  गुलाबी हाँसदा, शोध छात्रा, इतिहास विभाग, तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
- **भोजराज का वाक्यदोषान्तर्गत अरीतिमत्-दोष** 114-124
  ओमकार शुक्ल, शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
- **भारतीय दर्शन में आत्म तत्व की अवधारणा का व्यावहारिक महत्व** 125-129
  मनोज कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शनशास्त्र, फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज, जिला अररिया बिहार
- **मनु व कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन** 130-133
  डॉ. संजय शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान, सहकारी पी.जी. कॉलेज, मिहरावां, जौनपुर (उ.प्र.)

मनु व कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन

*डॉ. संजय शर्मा**

मनु व कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं। मनु रचित पुस्तक 'मनुस्मृति' और कौटिल्य रचित पुस्तक 'अर्थशास्त्र' है। दोनों विचारकों ने अपनी कृतियों में सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक समस्याओं पर चिंतन किया है। दोनों विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति, राजा के कार्य, राजपद के महत्त्व के बारे में बताया है। मनु ने जहाँ राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है वहीं कौटिल्य ने अनुबंध का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। शोध पत्र में दोनों विचारकों के राज्य की उत्पत्ति विषयक सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। शोध पद्धति ऐतिहासिक, तुलनात्मक व वैज्ञानिक है। शोध पत्र में द्वितीयक स्रोत प्रयोग में लाए गये हैं। वी.आर. मेहता (1992), प्रकाश नारायण नाटाणी (2002), रश्मि पाठक (2004), अजय कुमार, इस्लाम अली (2012), बी.एम. शर्मा, रामकृष्ण दत्त शर्मा, सविता शर्मा (2019) ने अपनी कृति में दोनों विचारकों के समग्र चिंतन का अध्ययन किया है। इन पुस्तकों में अलग से इनके राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों की तुलना नहीं की गयी है। शोध पत्र में इनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

मनु कौन थे? इस बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। जनश्रुति की मानें तो वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। संसार में मानव रूप में प्रकट होने वाले प्रथम कांतिमय पुरुष, ब्रह्मा के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ही थे।[1] मनु की कृति मनुस्मृति है जिसमें उन्होंने कहा है कि 'मनुष्य हित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में है।' यह पुस्तक 'हिन्दू विधि की संहिता' है। आर.के. मुखर्जी ने 'मनुस्मृति को बौद्ध युग के बाद की रचना ठहराया है।'[2] काशी जायसवाल 'मनुस्मृति को ईसा की दो शताब्दी पूर्व से दो शताब्दी उपरान्त के बीच की रचना मानते हैं।'[3] इतिहास में कौटिल्य को चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी अभिहित किया[4] गया है। उनकी कृति 'अर्थशास्त्र' है। डॉ. राम शास्त्री, डॉ. के.पी. जायसवाल, फ्लीट, डी.आर. भण्डारकर, आर.के. मुखर्जी, बी.ए. स्मिथ, एस. डब्ल्यू टामस, अर्थशास्त्र को मौर्य काल की रचना मानते हैं। भारतीय राजनीतिक दर्शन के बारे में जानने के लिए 'मनुस्मृति' व 'अर्थशास्त्र' दोनों महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। पश्चिमी विचारकों व भारतीय विचारकों ने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों को दिया–राज्य की उत्पत्ति का दैवीय, शक्ति, संविदा, व अन्य विकासवादी सिद्धान्त। मनु की कृति 'मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धान्त और कौटिल्य की कृति 'अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी सिद्धान्त है।

'मनुस्मृति' में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय विचार है। यह पश्चिमी विचार से नितान्त भिन्न है। मनु राजा की उत्पत्ति को ही राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। इनके चिंतन में राजा और राज्य एक ही है। मनु दैवीय विचार को तार्किक आधार प्रदान करने के लिए पश्चिमी संविदावादियों की तरह मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। मनु का मानना है कि मनुष्य में दैवीय व राक्षसी दोनों गुण विद्यमान होता है। दैवीय गुण शुभ, श्रेयस्कर कल्याणकारी व शांतिप्रिय होता है। यह नैतिक है। राक्षसी गुण दैवीय गुण के विपरीत अशुभ, झगड़ालू, अनैतिक होता है, दैवीय गुण निर्माण, विकास की ओर उन्मुख रहता है वहीं राक्षसी गुण विनाश की ओर उन्मुख रहता है। मनु ने राजा से पहले के समाज की जो स्थिति थी उसके बारे में बताते हुए कहा है, 'उस समय आसुरी प्रवृत्तियां बलवती थी, चतुर्दिक अव्यवस्था व अराजकता विद्यमान थी, उस समय बलवान लोग दुर्बलों के साथ वैसे ही हिंसा करते थे जैसे जल में छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है।'[5] राजा पूर्व समाज 'मत्स्य न्याय' आधृत था। बल की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी यानि 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कथा चरितार्थ थी। ऐसी स्थिति से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने ब्रह्मा से प्रार्थना की जिसने मनु को शासक के रूप में नियुक्त किया। अपनी सुरक्षा के बदले लोगों ने अपने मवेशी और सोने का पाँचवा भाग तथा अन्न का दसवां

* असिस्टेंट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान, सहकारी पी.जी. कॉलेज, मिहरावां, जौनपुर (उ.प्र.)

VAICHARIKI ISSN 2249-8907, Vol. 13, Issue I, March 2023

भाग राजा को देने का वादा किया। इस तरह नागरिक समाज–राजपद के साथ–साथ अस्तित्त्व में आया। राजपद का जन्म ईश्वर से हुआ कि सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा की जाए। उसके उपरान्त सामाजिक व्यवस्था एवं राजपद के बीच संबंध स्थापित किया गया। राजपद के जन्म लेते ही समाज में व्यवस्था की स्थापना हुई तथा राजपद के जन्म ने सरकार को जन्म दिया।'[6] मनु कहते हैं, ''इस संसार में बिना राजा के भय के कारण चलायमान हुए इस सम्पूर्ण संसार रक्षार्थ ब्रह्मा ने राजा को बनाया।''[7] इस तरह आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न अराजकता की समाप्ति करने के लिए राजा का जन्म हुआ।

मनु का राजा दैवीय गुणों से युक्त है। 'मनु ने राजा को आठ देवत्त्व गुणों से विभूषित किया ये देवता इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र व कुबेर हैं।'[8] वह बताते हैं कि 'इन आठ देवताओं का अंश लेकर राजा पैदा हुआ है। राजा तेजस्वी, अपराजित व सामर्थ्यवान है। राजा के साथ कोई द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अज्ञानतावश भी राजा से द्वेष करता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा, क्योंकि राजा उसके विनाश के लिए सदैव सचेष्ट रहता है।'[9] 'राजा अकेला आठ देवों के समान है। वह विशिष्ट देव है।'[10] पवित्र व पूजनीय है। मनु राजा को धर्म के अधीन रखते हैं। उनका राजा निरंकुश नहीं है। मनु का कहना है, 'राजा को सदैव धर्म अथवा कानून के अधीन रहकर चलना चाहिए तथा प्रजा का पालन करना चाहिए।'[11] राजा पर व्रत का अंकुश है जिसका अर्थ मनु ने प्रजा पालन, दुष्ट अपराधियों को दण्ड देना बताया है। वह कहते हैं, 'प्राणी मात्र के रक्षक, आत्मा से उत्पन्न, ब्रह्म तेज से निर्मित राजा का सृजन ईश्वर ने किया है। दण्ड सम्पूर्ण प्रजा का शासन करता है, सबके सो जाने पर दण्ड जागता है।'[12] जायसवाल कहते हैं, 'मानव धर्म शास्त्र के अनुसार विभिन्न देवता राजा के शरीर में आते हैं, और वह स्वयं एक महान देवता बन जाता है। मनु ने राजा को देव बताया है जिससे घृणा करने वालों को सम्पूर्ण शक्तियों से दंडित किया जाता है।'[13] मनु बताते हैं कि 'किसी स्थिति में राजा का अनादर नहीं करना चाहिए। राजा चाहे शिशु ही क्यूँ न हो उसका तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य दिखाई देते हुए भी वस्तुतः मनुष्य रूप में देवता है।'[14]

विचारकों ने मनु प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त की तुलना पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त से की है। पश्चिमी विचारकों द्वारा प्रतिपादित दैवीय सिद्धान्त में राजा ईश्वर प्रतिनिधि होने के साथ ही निरंकुश व कानून से ऊपर है। वह किसी सीमा में नहीं बँधा है। लुई चौदहवें का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि 'मैं ही राज्य हूँ।' पश्चिमी चिंतन में अच्छा राजा या बुरा राजा प्रजा के भाग्य से मिलता है। प्रजा का कर्त्तव्य हैं कि वह राजा के सम्मुख नतमस्तक रहे। मनु राजा धर्म से बँधा है यदि वह देवत्त्व युक्त कार्य नहीं करता तो उसका वह गुण नष्ट हो जायेगा। मनु कहते हैं कि यदि राजा प्रजा के प्रति अपने दायित्त्व का निर्वहन नहीं करेगा तो वह नर्क का भागी होगा। मनु के विचारों से दो निष्कर्ष निकलते हैं जिसकी चर्चा करते हुए बी.एम. शर्मा, सविता शर्मा व रामकृष्ण दत्त शर्मा कहते हैं, 'पहला यह कि राजा पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ मानव है। उसका पद अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण व पवित्र है। उसका अनादर अथवा उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है। दूसरा यह कि राजा निरंकुश नहीं, उस पर धर्म तथा कानून का अंकुश रहता है। वह भी तभी तक जब तक देवत्त्व रहता है जब तक वह धर्म के प्रतिबंधों को मानता है, धर्म और कानून का उल्लंघन उसे दैव श्रेणी से गिरा देगा।'[15]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति का संविदावादी विचार है। मनु को राजा जनता ने एक अनुबंध के तहत बनाया। कौटिल्य अपने विचारों को रखते हुए राज्य की उत्पत्ति के चार पूर्व सिद्धान्तों की चर्चा करते हैं। ये सिद्धान्त हैं– 'युद्ध का परिणाम, विकास मूलक सिद्धान्त, लोभ मोह से राज्य का जन्म और दैवीय सिद्धान्त।'[16] ऐतरेय ब्राह्मण का कहना है कि राज्य युद्ध की देन है। देव–असुर संग्राम में कई बार हारने के बाद देवताओं ने अनुभव किया कि राजा का होना अपरिहार्य है, वही सही तरीके से राज्य की रक्षा कर सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि राज्य का विकास धीरे–धीरे हुआ है। एक अन्य विचार का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है कि स्वर्ण काल के अंत के बाद दैन्य, लोभ, मोह, काम, राग बढ़ गया। इससे मुक्ति के लिए लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने दण्ड नीति का उपदेश दिया। फलतः राज्य अस्तित्त्व में आया। एक अन्य विचार भी था कि अराजकता

की समाप्ति के लिए लोग ब्रह्मा के पास गये और ब्रह्मा ने आठ देवताओं का अंश लेकर राजा का निर्माण कर जनता को सौंप दिया।

कौटिल्य ने इन विचारों का खंडन किया। कौटिल्य प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहते हैं, 'पूर्वकाल में एक समय ऐसा भी था जब मत्स्य न्याय का प्राबल्य था।'[17] 'जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निरन्तर अपना आहार बना लेती है, उसी प्रकार उस युग में सबल मनुष्य निर्बल मनुष्यों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं।'[18] कौटिल्य की प्राकृतिक अवस्था राज्य विहीन, विधि विहीन व अनैतिकता से युक्त है। निर्बल की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। चतुर्दिक मृत्यु का ताण्डव था। अराजकता की इस भयावह स्थिति से तंग आकर मानवों ने विवस्वानु के पुत्र मनु को अपना राजा स्वीकार किया।[19] प्रजा और मनु के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत प्रजा ने मनु को राज्य शासन चलाने हेतु, अन्न की उपज का छठवाँ भाग, व्यापार द्वारा प्राप्त धन का दसवां भाग, हिरण्य की आय का कुछ भाग कर के रूप में देने का निश्चय किया।[20] साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कर से प्राप्त धन का अधिकारी वही राजा होगा जो अपनी प्रजा को धन्य-धान्य से सुखी रहेगा व उसकी व्याधियों एवं शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करेगा।[21] कौटिल्य कहते हैं कि 'राजा को पूर्वानुमति के बिना कर लगाने का, उसे संचय करने का तथा व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है।'[22] वह स्वीकारते हैं कि 'लोकवित्त पर प्रजा का अधिकार है, राजा का नहीं।'[23]

मनु के सिद्धान्त का स्वरूप दैवीय है और कौटिल्य का सिद्धान्त समझौतावादी सिद्धान्त है। दोनों चिंतकों के राज्य उत्पत्ति के सिद्धान्त में कुछ समानता और कुछ असमानता है जो निम्नवत हैं–

1. दोनों विचारक मानते हैं कि राज्य पूर्व अवस्था अत्यधिक भयावह थी। चतुर्दिक अराजकता विद्यमान थी। मत्स्य न्याय की कहावत चरितार्थ थी।
2. मनु का कहना है कि राजा में देवत्त्व का अंश है। ईश्वर ने राजा को आठ गुणों (इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरूण, चन्द्र, कुबेर) से विभूषित किया है। कौटिल्य का राजा एक श्रेष्ठ पुरुष है।
3. मनु राज्य को ईश्वर निर्मित मानते हैं जबकि कौटिल्य इसको मानव निर्मित संस्था मानते हैं जिसकी स्थापना लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए की।[24]
4. दोनों विचारकों ने माना है कि आसुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता होती है तब अराजकता का जन्म होता है।
5. दोनों विचारकों ने माना कि राजा प्रजा के सुख समृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

मनु का राजा दुराचारी नहीं है जबकि पश्चिमी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धान्त के प्रतिपादकों का राजा निरकुंश है। मनु के राजा के अंदर देवत्त्व का निवास है। उसके ऊपर धर्म व प्रजा कल्याण का बंधन है। कौटिल्य का राजा लोगों के समझौतों से बँधा है। प्रजा के हितों का उल्लंघन वह नहीं कर सकता। मनु व कौटिल्य के विचारों को तर्क के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तर्कहीन होने के बावजूद अराजकता नियंत्रण में इन विचारों की भूमिका को झुठलाया नहीं जा सकता है।

सन्दर्भ :

---

1 मनुस्मृति, अध्याय–1, श्लोक 33
तप्तप्त्वासजद्यं तुस स्वयं पुरुषों विराट्।
तं माँ वित्तास्य सर्वस्य सृष्टांर द्विजसत्तमाः।।

2 आर.के. मुखर्जी, 'हिन्दू सभ्यता', राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1975, पृ. 156–157

3 मैकेन्जी ब्राउन, 'दि व्हाइट अम्ब्रेला', प्रेगर पब्लिशर्ज, 1982, पृ. 26–27

4 हेमचन्द्र ने अपनी कृति 'अभिमान चिन्तामणि' में चाणक्य के अन्य नाम बताए–
वात्स्यायेन मल्लिनाग; कुटलश्चणकात्मजः।
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोऽङ्गुलश्च सः।।

5 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 20

6 हरिश्चन्द्र शर्मा, 'प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं संस्थायें', कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 1980, पृ. 198–99
7 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 3
8 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 4
9 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 12
10 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 5
11 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 13
12 मनुस्मृति, अध्याय–7, श्लोक 18
13 के.पी. जायसवाल, 'मनु एंड याज्ञवल्क्य' कास्मोपॉलिटन बुक हाउस, 2004, पृ. 225–26
14 बी.एम. शर्मा, व अन्य, भारतीय राजनीतिक विचारक', रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2019, पृ. 9
15 वही
16 वही, पृ. 60–61
17 अर्थशास्त्र, अभिकरण–1, अध्याय 4–16 मात्स्य न्यायमुद्भावयति।
18 वही, अध्याय–13–6 मात्स्य न्यायभिभूता प्रजा।, बलीयानबलं हि प्रसते दण्डधराभ वे। वही
19 अर्थशास्त्र 1/13/6 मातस्यायाभिभूतः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चक्रिरे।
20 वही, 1/13/7, धान्यषडभागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पमायासु :।
21 वही, तेन भृता राजानः योगक्षेम वहाः।
22 परमात्मा शरण, 'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ', मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 170–173
23 वी.डी. मिश्र, 'कौटिलीय राजनीति', वैशाली पब्लिकेशन, गोरखपुर, पृ० 43–46
24 उपेन्द्र सिंह, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', ग्रन्थ विकास, जयपुर, 2009, पृ. 51–52, केदार शर्मा, 'प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में राजधर्म का स्वरूप', द्वितीय खंड, जगदीश संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर, 2006, पृ. 77–78, रश्मि पाठक, 'भारतीय राजनीतिक विचारक', अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, 2004, पृ. 8–10

***